प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक–25.08.2023 (सं0–384)

नागरिक केन्द्रित पुलिसिंग के अन्तर्गत "Know Your People, Know Your Police" कार्यक्रम तथा शहरी पुलिसिंग को सुदृढ करने हेतु TOP को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में

- राज्य पुलिस, नागरिक केन्द्रित पुलिसिंग हेतु तथा शहरी पुलिसिंग को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। इसके अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय के द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार के निर्देशन में नये कार्यक्रम "Know Your People, Know Your Police" को प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अपने क्षेत्र के नागरिकों से परिचित हो तथा जनता भी अपने क्षेत्र में पुलिस को जाने एवं आपसी समन्वय स्थापित कर आम जनता की समस्याओं का समाधान तथा अन्य जन केन्द्रित कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार किया जाना है।

अपर थानाध्यक्ष (Addl. SHO/2-I/C)

- राज्य में 1066 थाने हैं। इन थानों में थानाध्यक्षो (SHO) के अतिरिक्त अपर थानाध्यक्ष (Addl. SHO) को पदस्थापित किया गया है, जो थाने के 2-I/C के रूप में भी कार्य करेंगे। इस हेतु विधिवत जिलादेश भी निर्गत किया गया है।
- अपर थानाध्यक्ष के पदस्थापन का उद्देश्य है कि, थानाध्यक्ष के थाने से बाहर होने के समय थाने के रूटीन कार्य प्रभावित नहीं हो और सभी विधिक/प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप ससमय सम्पन्न किया जाए। थानाध्यक्ष के अनुपस्थिति में अपर थानाध्यक्ष को थानाध्यक्ष की सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदत्त रहेंगी। यहाँ तक कि उनके द्वारा प्राथमिकी भी पंजीकृत की जा रही है। वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत प्राथमिकियाँ अपर थानाध्यक्षों के हस्ताक्षर से हीं अंकित की जा रही हैं। काफी संख्या में महिला पदाधिकारियों को भी अपर थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित किया गया है।
- इस व्यवस्था से थानाध्यक्ष क्षेत्रों में अधिक समय दें पा रहे हैं। प्रमुख छापामारी में उनकी उपस्थिति रह रही है। गम्भीर प्रकृति के तथा सम्वेदनशील अपराधों के अनुसंधान का भार थानाध्यक्ष स्वयं ले रहे हैं। प्राथमिकी ससमय अंकित हो रही है और उसे उसी दिन scrb.bihar.gov.in पर अपलोड भी कर दिया जा रहा है। अंकित प्राथमिकी की प्रति भी आवेदक को उपलब्ध करायी जा रही है।

TOP (Town Out Post)

- TOP शहरी क्षेत्र के लिए होते हैं। इनमें प्रायः हथियार विहीन अथवा छोटे शस्त्रों से युक्त ओ0आर0 के सिपाहियों का पदस्थापन किया जाता है। TOP में पदस्थापित पुलिस के कर्मी पुलिस का सिविल चेहरा हैं। इनका कार्य लोगों से समन्वय स्थापित करना, आसूचना संकलन करना, स्थानीय स्तर पर छोटे सामान्य प्रकृति के विवादों का निपटारा करना उनके अपने बीट/मुहल्ला में गश्ती करना, असमाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखना तथा आम जनता की सुलभ पहुँच पुलिस तक हो यह सुनिश्चित करना है।
- राज्य में 250 TOP थें। कतिपय कारणों से इनमें मात्र 60 TOP हीं क्रियाशील रह गयें शेष बन्द हो गयें। पुलिस महानिदेशक, बिहार के निर्देश पर शहरी पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 129 TOP को पुनः प्रारम्भ किया गया है। पूर्व से कार्यरत 60 TOP तथा तथा पुनः प्रारम्भ किये गये 129 TOP को मिलाकर 250 में कुल 189 TOP पुनः सक्रिय हो गये हैं। शेष 61 TOP को भी शीघ्र सक्रिय कर लिया जायेगा।
- जिलों में ओ0आर0 (Ordinary Reserve) का स्वीकृत बल लगभग 14200 का है, परन्तु पूर्व से करीब 5000 ओ0आर0 सिपाही हीं इन जिलों में उपलब्ध थें। ओ0 आर0 बल में काफी रिक्ति थी परन्तु इस रिक्ति को डी0ए0पी0 (District Armed Force) के सिपाहियों को ओ0आर0 में प्रत्यावर्तित कर पूर्ण कर लिया गया है। कुल 9200 डी0ए0पी0 के सिपाहियों को ओ0आर0 में प्रत्यावर्तित किया गया है। इन ओ0आर0 के सिपाहियों को TOP में पदस्थापित कर इन्हें पुनः क्रियाशील किया गया है।
- सभी थानों के लिए NIC के माध्यम से ई0मेल आइ0डी0 की व्यवस्था की जा रही है तथा 80 प्रतिशत थानों की ई0मेल आइ0डी0 बनाई जा चुकी है। सभी सामान्य श्रेणी के पत्राचार अब ई0मेल के माध्यम से हीं किये जा रहे हैं।

XXXXXX